न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती अंजू कुमारी, *R.J.S.*
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्याः– 382/2024 (CIS No.– 382/2024)
CNR No.– RJJW110007302024

हंसराज मेहता आत्मज गिरधारीलाल, उम्र 49 वर्ष, निवासी– डून्डी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

.....परिवादी

ब ना म

राजकुमार आत्मज हरिशंकर, निवासी– लोडाहेडा, तहसील कनवास, जिला कोटा (राज.)

.....अभियुक्त

अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री अनिल मेहता, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
2. श्री रघुनन्दन सिंह, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 11–05–2026**

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी हंसराज मेहता द्वारा एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (जिसे आगे एन.आई. एक्ट से संबोधित किया जावेगा) अभियुक्त राजकुमार के विरूद्ध दिनांक 13–12–2023 को पेश करने से हुआ है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 13–12–2023 को परिवादी हंसराज ने धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अभियुक्त राजकुमार के विरूद्ध परिवाद इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/परिवादी कस्बा पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड राज. में अपनी फर्म किसान कृषि सेवा केन्द्र पनवाड द्वारा खेती में काम आने वाली कीटनाशक दवाईयों के बेचान का व्यवसाय करता है। अभियुक्त काफी समय से प्रार्थी की दुकान से खेती में काम आने वाली कीटनाशक दवाईयों की खरीद करता आ रहा था व काफी समय से अभियुक्त का प्रार्थी से लेन देन का व्यवहार होने से प्रार्थी अभियुक्त से अच्छी तरह से परिचित था तथा प्रार्थी व अभियुक्त का मित्रवत व्यवहार था। अभियुक्त ने प्रार्थी से खेती में काम आने वाली कीटनाशक दवाईयों की उधार खरीद की थी तथा उधार की रकम बाद फसल आने पर हिसाब कर देने का आश्वासन दिया था। प्रार्थी ने अभियुक्त से मित्रवत व्यवहार होने के कारण अभियुक्त पर विश्वास करके खेती में काम आने वाली कीटनाशक दवाईयां अभियुक्त को बतौर उधार दी थी। उसके बाद अभियुक्त से प्रार्थी ने कीटनाशक दवाईयों के उधार की रकम भुगतान करने की कहा व उधार के रूपयों की मांग करने पर अभियुक्त ने प्रार्थी से उधार का सारा हिसाब समझकर दिनांक 31–10–2023 को प्रार्थी से उधार ली गयी कीटनाशक दवाईयों की उधारी की रकम की अदायगी के लिये एक चैक अभियुक्त ने अपने खाता संख्या 45540100027015 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धुलेट का एक चैक क्रमांक 707820 दिनांक 31–10–2023 रकम 2,90,148 रूपये अक्षरे दो लाख नब्बे हजार एक सौ अडतालीस रूपये का अपने हस्ताक्षर कर प्रार्थी को दिया था। प्रार्थी ने अभियुक्त द्वारा जारी उक्त वर्णित चैक क्रमांक

707820 दिनांक 31–10–2023 रकम 2,90,148 रूपये अक्षरे दो लाख नब्बे हजार एक सौ अडतालीस रूपये को प्राप्त करने के लिये अपने बैंक खाता संख्या 2212555255 कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शाखा खानपुर में दिनांक 31–10–2023 को पेश किया था। कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शाखा खानपुर ने उक्त वर्णित चैक क्लीरियन्स हेतु अभियुक्त की बैंक शाखा में भेजा लेकिन प्रार्थी को अभियुक्त द्वारा जारी चैक की राशि का भुगतान नहीं हो सका व बैंक ने उक्त चैक अनादरित कर अपने चैक वापसी ज्ञापन के साथ दिनांक 16–11–2023 को रकम बिना भुगतान किये ही प्रार्थी को वापस लौटा दिया तथा चैक में अंकित रकम का भुगतान नहीं करने का कारण चैक वापसी मेमो में अभियुक्त के खाते में Funds Insufficient (अपर्याप्त निधि) का नोट अंकित है। इस प्रकार बैंक ने अभियुक्त द्वारा जारी उक्त वर्णित चैक का असंदाय कर अनादरण कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थी अभियुक्त द्वारा जारी चैक में अंकित रकम प्राप्त नहीं कर सका है। अभियुक्त ने यह जानते हुये भी अभियुक्त के बैंक खाते में प्रार्थी को जारी उक्त वर्णित चैक में अंकित रकम का भुगतान करने लायक पर्याप्त धनराशि नहीं है फिर भी अभियुक्त ने जानबुझकर प्रार्थी के साथ धोखाधडी कर व आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत रकम 2,90,148/– रूपये अक्षरे दो लाख नब्बे हजार एक सौ अडतालीस रूपये का उक्त वर्णित चैक जारी कर दिया। प्रार्थी ने चैक डिसओनर होने के बाद दिनांक 18–11–2023 को जर्ये एडवोकेट अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस देकर 15 दिन में चैक की रकम 2,90,148/– रूपये अक्षरे दो लाख नब्बे हजार एक सौ अडतालीस रूपये की मांग की तथा अभियुक्त को दिनांक 21–11–2023 को नोटिस मिल गया परंतु अभियुक्त ने 15 दिन के अंदर चैक राशि का भुगतान नहीं किया और न ही आज तक चैक राशि का भुगतान किया है। परिवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। परिवाद निर्धारित समय में अवधि मध्य पेश है। अंत में परिवाद पेश कर अभियुक्त को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत कठोर सजा व दुगने जुर्माने से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

3. परिवाद के समर्थन में परिवादी हंसराज ने स्वयं का जांच साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 सीआरपीसी में परीक्षण बाबत शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक, बैंक जमा पर्ची, चैक रिर्टन मेमो, विधिक नोटिस, डाक रसीद, ट्रेक रिपोर्ट आदि प्रस्तुत किये।

4. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त अपराध का दिनांक 01–08–2024 को प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया एवं परिवाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. अभियुक्त के उपस्थित आने पर धारा 138 एन.आई. एक्ट का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध को सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. परिवादी हंसराज ने अपनी साक्ष्य के दौराने मुख्य परीक्षण का अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं स्वयं को गवाह पी.ड.01 के रूप में परीक्षित करवाया। साथ ही परिवाद के समर्थन में असल चैक क्रमांक 707820 प्रदर्श पी–1, बैंक जमा रसीद प्रदर्श पी–2, चैक रिटर्न मेमो प्रदर्श पी–3, नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. प्रदर्श पी–4, डाक रसीद प्रदर्श पी–5, नोटिस प्राप्ति

ट्रेक रिकॉर्ड प्रदर्श पी–6 को पेश कर प्रदर्शित करवाया। अन्य गवाह प्रस्तुत नहीं करना चाहने पर साक्ष्य परिवादी बंद की गई।

7. परिवादी साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त को अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होने, गवाह द्वारा झूंठ बोलने व निर्दोष होने का कथन किया। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा। जिस पर अभियुक्त को साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

8. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क रहा है कि परिवादी द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से परिवादी का मामला बखूबी साबित होता है। परिवादी साक्ष्य से यह संदेह से परे साबित है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को वादगत ऋण की अदायगी हेतु एक चैक अपने खाता संख्या 45540100027015 का चैक क्रमांक 707820 दिनाँक 31–10–2023 राशि 2,90,148/– रुपये का बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धुलेट का वादग्रस्त चैक निष्पादित करके दिया, जो चैक अभियुक्त के बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। परिवादी द्वारा विहित अवधि में उक्त चैक की सूचना जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त को देकर चैक में वर्णित राशि की माँग की गई। रजिस्टर्ड नोटिस भी अभियुक्त को प्राप्त हो गया, परंतु अभियुक्त द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्ति के बावजूद विहित समय में चैक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया, जिस पर परिवादी द्वारा विहित समय में न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। अभियुक्त की ओर से प्रकरण में कोई प्रतिरक्षात्मक साक्ष्य पेश नहीं की गई है। धारा 118(a) व धारा 139 एन.आई. एक्ट की उप–धारणा परिवादी के पक्ष में है। अतः परिवादी का परिवाद संदेह से परे साबित है तथा अभियुक्त को दुगनी राशि एवं कारावास के सख्त दण्ड से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने परिवादी के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि परिवादी ने अपने परिवाद व साक्ष्य में रूपये किसके सामने उधार दिए थे, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है, चैक विधिक दायित्व के लिये परिवादी ने प्राप्त किये थे, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। अभियुक्त द्वारा कीटनाशक दवाईयां उधार खरीदे जाने के संबंध में कोई गवाह पेश नहीं किया है, न ही परिवादी ने कोई बिल वगै. पत्रावली पर पेश किया है। परिवादी ने ऐसी भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है कि परिवादी से अभियुक्त ने 2,90,148/– रूपये की कीटनाशक दवाईयां खरीदी हो। परिवादी ने अभियुक्त के चैक का दुरूपयोग किया है। अतः परिवादी यह साबित करने में असफल रहा है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को 2,90,148/– रूपये की कीटनाशक दवाईयां उधार दी गयी थी। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10. उक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सुविधानुसार विवेचन आगे किया जायेगा।

(1) **" क्या परिवादी हंसराज से अभियुक्त राजकुमार ने कीटनाशक दवाईयां 2,90,148/– रुपये की उधार प्राप्त की, जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्त**

राजकुमार ने अपने खाता संख्या 45540100027015 का चैक संख्या 707820 राशि 2,90,148/– रुपये का परिवादी को दिया तथा उक्त चैक परिवादी द्वारा भुगतान हेतु कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शाखा खानपुर में पेश करने पर उक्त चैक अभियुक्त राजकुमार के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हो गया, जिससे परिवादी को उक्त चैक की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हो सका तथा परिवादी द्वारा अभियुक्त राजकुमार को जरिये अधिवक्ता नोटिस दिए जाने पर भी अभियुक्त ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही चैक राशि का भुगतान परिवादी को किया ?"

(2) यदि हाँ, तो न्यायोचित/उपयुक्त दण्ड क्या हो ?

11. उपरोक्त अवधार्य बिंदू के निर्धारण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिंदुओं को विनिश्चय किया जाना आवश्यक हैः–

(a) **विधिक दायित्व के उन्मोचन के पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से निर्वहन हेतु चैक का अभियुक्त द्वारा बैंकर के साथ संधारित अपने खाते से दिया जाना।**

(b) **उक्त चैक का अपर्याप्त निधि या समवर्ती कारणों से अनादरित हो जाना।**

(c) **विहित समयावधि में नोटिस दिया जाकर अनादरित चैक की राशि के संदर्भ में चैक के धारक या सम्यक अनुक्रम धारक द्वारा माँग करना, जिसके उपरांत भी अभियुक्त द्वारा राशि का भुगतान नहीं करना, जिसके पश्चात् परिवादी द्वारा विहित अवधि में न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना।**

12. चैक अनादरण के अपराध में धारा 138 एन.आई. एक्ट में वर्णित सभी आवश्यक शर्तों का एक साथ पूर्ण होना अनिवार्य है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा विवादित चैक अपने बैंक खाते का होना, चैक पर स्वयं के हस्ताक्षर होना, चैक की विधिक अवधि के दौरान चैक समाशोधन हेतु बैंक में प्रस्तुत करने का तथ्य स्वीकृत है, जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह जाहिर नहीं किया है।

13. परिवादी की ओर से साक्ष्य परिवादी में पी.ड.01 स्वयं को पेश कर परीक्षित कराकर अपने मुख्य परीक्षण में परिवाद में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुए असल चैक प्रदर्श पी–1, बैंक जमा रसीद प्रदर्श पी–2, चैक रिटर्न मेमो प्रदर्श पी–3, नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. प्रदर्श पी–4, डाक रसीद प्रदर्श पी–5, नोटिस प्राप्ति ट्रेक रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 पेश किये हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथन किया कि मुलजिम राजकुमार और उसके बीच करीब पांच छह साल से जान पहचान है। मुलजिम के ये पैसे दवाईयों के थे। दवाईयों के पैसे टुकड़ों में थे। पैसे एक ही साल के अलग–अलग थे। दो तीन फसलों के अलग–अलग पैसे थे। मुलजिम को दी गई उधारी की दवाईयों की अवधि अलग–अलग दिनांक की थी। सभी कलमें अलग–अलग दिनांक की थी। मुलजिम ने उसे एक ही चैक दिया था। मुलजिम ने पहले हिसाब करके उसे चैक दिया था। चैक की राशि मुलजिम ने भरकर दी थी। चैक में वर्णित समस्त लिखावट उसकी खुद की कलमी है, फिर कहा हस्ताक्षर मुलजिम राजकुमार के हैं। चैक में राशि उसने ही भरी थी जो मुलजिम ने हिसाब करवाके भरवाई थी। यह कहना गलत है कि वह सभी काश्तकार जो उसके ग्राहक हैं उनसे खाली चैक लेता हो। यह कहना सही है कि उसने उसकी

दुकान की फर्म के कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किये हैं। यह कहना भी सही है कि उसने रोकड रजिस्टर जिसमें वह दुकान की उधारी का इन्द्राज करता है, वह भी पेश नहीं किया। यह कहना गलत है कि उसने मुलजिम से पैसा ले लिया हो और चैक मुलजिम को वापस नहीं किया हो।

14. <u>अवधारणीय बिन्दु "1"</u>

15. पत्रावली पर आयी साक्ष्य के संबंध में न्यायालय द्वारा विरचित किये गये विचारणीय बिन्दु 1 के संबंध में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या अभियुक्त की ओर से अपने खाते का चैक संख्या 707820 को विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी के पक्ष में दिया गया था ?

प्रकरण में परिवादी की ओर से आई साक्ष्य से अभियुक्त के खाते का चैक क्रमांक 070820 होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। परिवादी ने अपने परिवाद, शपथ पत्र एवं नोटिस में स्पष्ट रूप से जाहिर किया है कि उसने अभियुक्त को कीटनाशक दवाईयां उधार दी थी। अभियुक्त द्वारा परिवादी से की गई जिरह में उक्त कीटनाशक दवाईयां प्राप्त नहीं की गयी हो, ऐसा कोई खंडन नहीं हुआ है। अभियुक्त ने केवल दौराने बहस यह मौखिक कथन किया है कि परिवादी से उसने कोई कीटनाशक दवाईयां नहीं खरीदी। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा उससे कीटनाशक दवाईयां खरीदे जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई बिल पेश नहीं किया है, जिसके संबंध में पत्रावली पर अभियुक्त ने उक्त चेक स्वयं का न होने और उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होने से इंकार नहीं किया है। परिवादी के पास उक्त चेक कैसे आया, इस संबंध में भी अभियुक्त ने चेक गुम हुआ हो या चोरी हुआ हो, उक्त संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। यदि अभियुक्त द्वारा परिवादी से कीटनाशक दवाईयां नहीं खरीदी थी तो उसके पास चैक कैसे आया, इसका कोई खंडन अभियुक्त ने नहीं किया है। परिवादी ने अपने परिवाद, अपने मुख्य परीक्षण एवं अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त को कीटनाशक दवाईयां बेचने जिसकी अदायगी राशि हेतु अभियुक्त द्वारा उसे उक्त चेक दिए जाने की साक्ष्य दी है। परिवादी द्वारा जो कथन किया गया है, उसको खंडित करने का भार अभियुक्त पर था। अभियुक्त ने परिवादी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खंडन पेश नहीं किया है। अभियुक्त ने उक्त भार को साबित नहीं किया है, न ही कोई साक्ष्य ऐसी पेश की है कि परिवादी ने उसके चेक चोरी कर लिया हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर उक्त तर्क साबित नहीं माना जा सकता। अभियुक्त ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी में भी ऐसा कोई तर्क नहीं लिया है कि उसके चेक खो गये हो या चोरी हो गये हो, जिससे यह प्रमाणित होता है कि परिवादी को अभियुक्त ने अपने वैध ऋण की अदायगी हेतु चैक निष्पादित कर दिया था।

16. अभियुक्त के पास धारा 139 एनआई एक्ट के तहत परिवादी द्वारा ली गयी उपधारणा को खण्डन करने का पूर्ण अवसर विद्यमान था ऐसे में यदि धारा 139 का परिशीलन करें तोः–

17. **धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881** धारक के पक्ष में उपधारणा का प्रावधान करती है। धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रावधान इस प्रकार हैं किः– ''धारक के पक्ष में उपधारणाः– जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये, यह

उपधारणा की जायगी कि चैक के धारक ने यह चैक धारा 138 में विनिर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्वाह करने के लिए चैक प्राप्त किया था।''

धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाए, प्रतिफल एवं तारीख के विषय में उपधारणा करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है।

18. इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (Subedar) Sumer Singh vs Amit Enterprises 2003(2) ISJ (Banking) 68 अभियुक्त अपने हस्ताक्षर विवादित चैक पर होना स्वीकार करता है तो यह सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है कि अभियुक्त ने विवादित चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन पेटे जारी नहीं किया था।

19. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Basalingappa V/s Mudibasappa (2019) 5 SCC 418 में यह प्रतिपादित किया गया हैं किः–

> *Hon'ble Supreme Court has held the principles enumerated by the court are summarized as:*
>
> *i. Once the excution of cheque is admitted section 139 of the Act mandates a presumption that the cheque was for the discharge of any debt or other liability.*
>
> *ii. The presumption under section 139 is a rebuttable presumption and the onus is on the accused to raise the probable defence. The standard of proof for rebutting the presumption is that of preponderance of probabilities.*

20. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत M/S Kalamani Tex & Anr. V/s P. Balasubramanian Feb. 10, 2021 में यह प्रतिपादित किया गया हैं किः–

> *Once the Appellant had admitted his signatures on the cheque and the Deed, the trial Court ought to have presumed that the cheque was issued as consideration for a legally enforceable debt. The trial Court fell in error when it called upon the Complainant–Respondent to explain the circumstances under which the appellants were liable to pay. Such approach of the trial Court was directly in the teeth of the established legal position as discussed above and amounts to a patent error of law.*

21. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतः– Rajesh Jain V/s Ajay Singh SLP (Crl.) No.12802 of 2022) on 9 October, 2023 में धारा 139

एनआई एक्ट के खण्डन करने के भार को अभियुक्त पर होना बताते हुए यह प्रतिपादित किया गया हैं किः–

> *As rightly contended by the appellant, there is a fundamental flaw in the way both the Courts below have proceeded to appreciate the evidence on record. Once the presumption under Section 139 was given effect to, the Courts ought to have proceeded on the premise that the cheque was, indeed, issued in discharge of a debt/liability. The entire focus would then necessarily have to shift on the case set up by the accused, since the activation of the presumption has the effect of shifting the evidential burden on the accused. The nature of inquiry would then be to see whether the accused has discharged his onus of rebutting the presumption. If he fails to do so, the Court can straightaway proceed to convict him, subject to satisfaction of the other ingredients of Section 138.*

22. उक्त प्रावधान के अंतर्गत अभियुक्त पर यह भार था कि वह परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों का खण्डन करे। केवल मात्र यह कह देने या नकारने से परिवादी के अभिकथनों का खण्डन होना नहीं माना जा सकता।

23. परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं इनका कोई भी खण्डन अभियुक्त की ओर से नहीं किया गया है। केवल विवादित चैक के चोरी हो जाने मात्र कथन करने से परिवादी के अभिकथनों का खण्डन होना नहीं माना जा सकता। इस संबंध में यदि **धारा 92 इण्डियन एविडेंस एक्ट का अवलोकन करें तोः–**

> *"When the terms of any such contract, grant or other disposition of property, or any matter required by law to be reduced to the form of a document, have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted, as between the parties to any such instrument or their representatives in interest, for the purpose of contradicting, varying, adding to, or substracting from, its terms."*

24. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Rohitbhai Jivanlal Patel vs State of Gujarat & Anr II(2019) BC 329 (SC)** में यह निष्पादित किया है कि जब धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की उपधारणा ले ली जाती है तब उसका खण्डन करने के लिए संभाव्य बचाव लाने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होती है तथा मात्र खण्डन से या नकारने से उपधारणा को खंडित नहीं किया जा सकता।

25. इसी प्रकार विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान Substantive Evidence की श्रेणी में नहीं आते है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतः– **सुमेती विज बनाम मैसर्स पेरामाउंट टेक फेब इंडस्टीज कीमीनल अपील नं. 293/21 निर्णय दिनांक 09.03.2021** में यह सिद्यांत प्रतिपादित किया गया है किः–

> *"The statement of accused recorded u/s. 313 CRPC is not a substantive evidence of the defence, but only an opportunity to the accused to explain the incriminating circumstances appearing in the prosecution case of the accused. Therefore, there is no evidence to rebert the presumptions that the cheques were issued for consideration"*

26. अतः प्रकरण में आयी साक्ष्य के उपरोक्त विवेचनानुसार व उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में पारित सिद्धान्तों की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में सन्देह से परे साबित है कि अभियुक्त द्वारा अपने खाते का चैक क्रमांक 707820 विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी को जारी किया गया है।

27. अभियुक्त की ओर से धारा 139 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की उपधारणा के खण्डन के लिये जो साक्ष्य बचाव में पेश की गई है उससे परिवादी के अभिकथनों का खण्डन होना जाहिर नहीं होता है तथा जो साक्ष्य परिवादी की ओर से आई है उसमें भी ऐसी कोई विसंगति सामने नहीं आयी है जो उपधारणा के खण्डन के लिए पर्याप्त साबित हो सके। प्रकरण में विवादित चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना तथा उक्त चैक का परिवादी को विधिक दायित्व के पेटे दिया जाना खंडित नहीं हो पाया है।

28. अतः प्रकरण में आयी साक्ष्य के उपरोक्त विवेचनानुसार व उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में पारित सिद्धान्तों की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में सन्देह से परे साबित है कि अभियुक्ता द्वारा अपने खाते का चैक कमांक 707820 विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी को जारी किया गया है।

29. **अवधारणीय बिंदु संख्या–'2'**

विचारणीय बिन्दु संख्या–2 के संबंध में अब यह देखा जाना है कि क्या विवादित चैक देय होने की तिथि के 3 माह के भीतर भुगतान प्राप्त करने हेतु परिवादी द्वारा बैंक में लगाया गया, जहां से बैंक द्वारा यह चैक अभियुक्त का 'अपर्याप्त निधि' होने के कारण अनादरित होकर प्राप्त हुआ।

30. इस संबंध में प्रदर्श पी–1 चैक क्रमांक 707820 दिनांकित 31–10–2023 राशि 2,90,148/– रुपए को परिवादी ने भुगतान हेतु अपनी बैंक कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शाखा खानपुर में प्रस्तुत किया जो दिनांक 16–11–2023 को अनादरित होना बताया है। प्रदर्श पी–3 रिटर्न मेमो के अवलोकन से विवादित चैक का दिनांक 16–11–2023 को अभियुक्त के खाते में 'अर्पयाप्त निधि' होने के कारण अनादरित किया जाना प्रमाणित है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि गवाह पी.ड.01 हंसराज ने अपनी मौखिक साक्ष्य में की है, जिस संबंध

में उसकी साक्ष्य अखंडित रही है। उक्त तथ्यों का कोई खण्डन अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा साक्ष्य से नहीं किया गया है।

31. अतः प्रकरण में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रदर्श पी–1 चैक जारी किए जाने के तीन माह के भीतर भुगतान हेतु परिवादी द्वारा बैंक में लगाया जाना व उक्त चैक को दिनांक 16–11–2023 को बैंक द्वारा अभियुक्त के के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित कर लौटा दिया जाना पूर्णतः साबित है।

32. **<u>अवधारणीय बिंदु संख्या–'3'</u>**

विचारणीय बिन्दु संख्या–1 के संबंध में अन्त में यह देखा जाना है कि क्या विवादित चैक अनादरित होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर, परिवादी द्वारा अभियुक्त को लिखित में नोटिस या सूचना पत्र द्वारा बकाया धनराशि की मांग की गई एवं अभियुक्त नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर, उस राशि का संदाय करने में असफल रहा, जिस पर एक माह के भीतर यह परिवाद न्यायालय में पेश किया गया?

33. प्रकरण में प्रस्तुत परिवाद व प्रकरण में आई समस्त मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–3 रिटर्न मेमो के अनुसार विवादित चैक का दिनांक 16–11–2023 को अनादरित होना प्रमाणित है।

34. हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में वर्णित पते पर अभियुक्त को विवादित चैक की राशि के भुगतान हेतु अपने अधिवक्ता के जरिये नोटिस प्रदर्श पी–4 दिनांकित 18–11–2023 जरिये डाक प्रेषित किया जाना जाहिर है। उक्त विधिक नोटिस का खण्डन अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया है। एवं उक्त दस्तावेज का परिवादी द्वारा अपने बयानों में स्पष्ट किया गया है कि जिसकी साक्ष्य अखण्डित रही है। इसके अतिरिक्त किसी दस्तावेज की डाक से भेजे जाने पर सफलतापूर्वक तामिल होने की उपधारणा धारा 27 जनरल क्लोजेज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा की जा सकती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत <u>C.C. Alavi Hazi Vs. Papaletty Muhammad & Anr. 2007 (2) NIJ–1 (SC)</u> में संबल लेने हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिये अभियुक्त के सही पते पर भेजा गया है, तो धारा 27 क्लोजेज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ऐसे नोटिस की तामील पर्याप्त मानी जाएगी, जब तक कि अभियुक्त यह साबित न कर दे कि नोटिस वास्तव में ही तामील नहीं हुआ और वह नोटिस के तामील न होने के पीछे स्वयं जिम्मेदार नहीं था।

35. प्रकरण में परिवादी द्वारा भेजा गया नोटिस प्रदर्श पी–4 अभियुक्त के सही पते पर प्रेषित किया जाना जाहिर होता है। अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रकट हो कि परिवादी द्वारा प्रेषित किया गया नोटिस प्रदर्श पी–4 दिनांकित 31–10–2023 अभियुक्त को प्राप्त नहीं हुआ हो और न ही ऐसा कोई खण्डन अभियुक्त की ओर से हुआ कि वह विधिक नोटिस पर अंकित पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर निवास करता हो। अभियुक्त द्वारा केवल मात्र नकारने से परिवादी के अभिकथनों को खण्डित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में तथा प्रकरण में आई साक्ष्य से परिवादी द्वारा अभियुक्त को अनादरित चैक के भुगतान हेतु प्रेषित किये

गये नोटिस प्रदर्श पी–4 डाक रसीद जरिए प्रदर्श पी–5 द्वारा होना और उक्त नोटिस अभियुक्त को मिलने की उपधारणा लिये जाने योग्य है। **अभियुक्त द्वारा नोटिस प्राप्त होने के पश्चात विहित अवधि में परिवादी को भुगतान नहीं किया** जिस पर परिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत विहित अवधि में परिवाद पत्र दिनांक 13–12–2023 को न्यायालय के समक्ष पेश करना पूर्णतः प्रमाणित है।

36. इस प्रकार परिवादी व अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, पक्षकारों द्वारा अपने–अपने पक्ष में दिये गये तर्कों व न्यायिक दृष्टान्तों के उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित है कि परिवादी हंसराज से अभियुक्त राजकुमार ने कीटनाशक दवाईयां 2,90,148/– रुपये की उधार प्राप्त की, जिसकी अदायगी पेटे अभियुक्त राजकुमार ने अपने खाता संख्या 45540100027015 का चैक संख्या 707820 राशि 2,90,148/– रुपये का परिवादी को दिया तथा उक्त चैक परिवादी द्वारा भुगतान हेतु कोटेक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शाखा खानपुर में पेश करने पर उक्त चैक अभियुक्त राजकुमार के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हो गया, जिससे परिवादी को उक्त चैक की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हो सका तथा परिवादी द्वारा अभियुक्त राजकुमार को जरिये अधिवक्ता नोटिस दिए जाने पर भी अभियुक्त ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही चैक राशि का भुगतान परिवादी को किया। फलस्वरूप अभियुक्त धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

37. परिणामतः अभियुक्त राजकुमार आत्मज हरिशंकर, निवासी– लोडाहेडा, तहसील कनवास, जिला कोटा (राज.) को अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड, (राज.)

38. **<u>सजा के प्रश्न परः–</u>** सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सम्मन मामला है। कोई पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाए। इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध कर अभियुक्त को विदित दण्ड से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

39. सुना गया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का सजा के दण्ड के प्रश्न पर पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त को धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दोषसिद्ध घोषित किया गया है। आर्थिक विकास के लिये व्यावसायिक विकास आधारभूत आवश्यकता है, जिन आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये परक्राम्य लिखित अधिनियम में विभिन्न उपधारणाओं का समावेश किया गया है। वर्तमान समय में चैक अनादरण के मामलों में बढोतरी हो रही है तथा जिस मंशा व उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परक्राम्य

लिखित अधिनियम अधिनियमित किया गया है, उसको दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश

40. अतः अभियुक्त राजकुमार आत्मज हरिशंकर, निवासी– लोडाहेडा, तहसील कनवास, जिला कोटा (राज.) को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर छः माह के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। साथ ही धारा 357(3) सीआर.पी.सी. के प्रावधानों के तहत अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को चैक क्रमांक 707820 राशि 2,90,148/– रुपये के प्रतिकर के रूप में 3,50,000/– रुपये (अक्षरे– तीन लाख पचास हजार रूपये) प्रतिकर के रूप में अदा करे। अदम अदायगी प्रतिकर राशि अभियुक्त 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। प्रतिकर की उक्त राशि अभियुक्त से जुर्माने के रूप में वसूलनीय होगी। चूंकि प्रकरण में परिवादी को अभियुक्त से प्रतिकर की राशि दिलाने के आदेश दिये जा चुके हैं, इसलिए धारा 357(A) दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना में परिवादी को प्रतिकर की कोई अन्य राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त द्वारा प्रतिकर राशि अदा करने पर संपूर्ण राशि बाद गुजरने मियाद अपील परिवादी को दी जावे।

41. अभियुक्त द्वारा दौराने विचारण भुगती गई पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मूल सजा में समायोजित किया जावे। तद्नुसार सजा वारण्ट मुर्तीब हो।

42. अभियुक्त के पूर्व के हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

43. अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000/– रुपये के जमानत व इसी राशि का मुचलका न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

44. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

45. निर्णय आज दिनांक 11–05–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MANSI SONI
Steno Gr.III "Authenticate Document" Digitally signed by MANSI SONI Date: 2026.05.15 08:32:01 +0530

नोटः– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।